संख्या-वि0-3(1)/11-क0नि0-7-2013-700(545)/13

प्रेषक

जी0सी0कठेरिया
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक: 11नवम्बर,2013

विषयः- मिथ्या अभिलेखों, साक्ष्यों तथा छद्मवेश में पंजीकृत विलेखों से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-क0नि0-7-684/11-2013 दिनांक 13 अगस्त,2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिथ्या अभिलेखों, साक्ष्यों तथा छद्मवेश में पंजीकृत विलेखों के रजिस्ट्रीकरण को निरस्त किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस शासनादेश द्वारा शासनादेश निर्गत होने से पूर्व उक्त आधारों पर पंजीकृत किये गये विलेखों के पंजीकरण को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में न्याय विभाग से अभिमत प्राप्त किया गया।

2- न्याय विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश के प्रभावी होने से पूर्व पंजीकृत अभिलेखों के साक्ष्य में यह शासनादेश शामिल नही होगा, न ही वह अभिलेख इससे आच्छादित होंगे।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिथ्या अभिलेखों, साक्ष्यों तथा छद्मवेश में पंजीकृत कराये गये/विलेख जो कि शासनादेश निर्गत होने की तिथि या उससे पश्चात पंजीकृत किये गये है, ही इस शासनादेश से आच्छादित होंगे।

भवदीय
(जी0सी0कठेरिया)
संयुक्त सचिव।

संख्या-यथोक्त, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिरीक्षक, निबन्धन, उ0प्र0शिविर कार्यालय लखनऊ।

2- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

ह0/-

(जी0सी0कठेरिया)

संयुक्त सचिव।